सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 101/2017 अपील (RCMS/2017/00033)
पंजीयन दिनांक – 25.07.2017
निर्णय दिनांक – 20.08.2018

1. श्री भेरूलाल पिता श्री किशना प्रजापत (दत्तक पुत्र श्री देवीलाल), निवासी जगत, तहसील गिर्वा, उप तहसील कुराबड, जिला उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता श्री जगन्नाथ प्रजापत, निवासी 126, चौधरियों का मोहल्ला, गांव बम्बोरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री जयकृष्ण दवे – वकील अपीलान्ट
2. श्री नरेश जणवा – वकील रेस्पोडेंट–1

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर, प्रकरण संख्या 20/2016 दिनांक 05.06.2017

निर्णय

दिनांक 20.08.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर, प्रकरण संख्या 20/2016 दिनांक 05.06. 2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष अपीलान्ट ने एक अपील इस आशय से प्रस्तुत की कि स्व. श्री हीरा जी प्रजापत के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी न. 2637, 5680 एवं

5837 कुल किता 3 कुल रकबा 0.200 हेक्टेयर मौजा जगत, तहसील गिर्वा में स्थित थी। श्री हीरा के दो पुत्र श्री किशना एवं देवीलाल हुए जो हीरा की मृत्यु उपरान्त उक्त कृषि भुमि के 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हुए। श्री देवीलाल के कोई सन्तान नहीं होने से उसकी पत्नि की सहमती से दिनांक 15.11.1994 को जाति समाज व गांव के मौतबीरों के समक्ष रीतिरिवाज व प्रथानुसार अपने बडे भाई किशना के पुत्र भेरूलाल अपीलान्ट को विधिवत गोद लिया और प्राकृतिक पिता श्री किशना ने अपनी पत्नि की सहमति से गोद दिया। तत्समय देवीलाल व उनकी पत्नि ने मौखिक रूप से तय किया था कि उन दोनों के औलाद नहीं होने से वृद्धावस्था में ये सेवाचाकरी करेगा और मेरी बापौती की चल–अचल सम्पत्ति का हकदार यह ही रहेगा। देवीलाल के दिनांक 28.10.2009 को स्वर्गवास होने के समय अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा नहीं होने से दत्तक माता श्रीमती कंकु बाई के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ और राजस्व अधिकारी द्वारा बाद में कार्यवाही कर अपना नाम जुडवा देने हेतु कहा गया। अपीलान्ट की दत्तक माता का दिनांक 18.07.2015 को लकवा आदि बीमारियों से स्वर्गवास होने उपरान्त समस्त उत्तरक्रियाएं अपीलान्ट ने पुत्र के रूप में की जाकर समस्त खर्चे पर सम्पादित की। अपीलान्ट की दत्तक माता कंकू बाई के देहावसान के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वर्णित कृषि भूमियों में स्व. श्री देवीलाल का 1/2 हिस्सा अवैध रूप से, वस्तुस्थिति छुपाकर एवं मिथ्या वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1285 दिनांक 07.01.2016 स्वीकृत करावा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 05.06.2017 से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की गई, जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 10.07.2018 एवं 13.08.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि मूल खातेदार स्व. कंकू की मृत्यु के समय उसके कोई संतान नही थी, न पति जीवित थे, इसलिए उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसके पति के उत्तराधिकारियों को जाता है। उसके पति के उत्तराधिकारी पति के भाई व उसके संतानें है जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक उत्तराधिकारी है, जिन्हें चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा सुनवाई का मौका देने हेतु नोटिस जारी करना अनिवार्य था जिनका हक इस विवादित नामान्तरकरण से प्रत्यक्षतः दुष्प्रभावित होता है। धारा 213(1) भारतीय

उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत किसी भी वसीयतनामे के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अपना हक स्थापित करना चाहता है तो उसे समक्ष न्यायालय से वसीयत का प्रोबेट लेना अनिवार्य है। अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अभिकथित वसीयतनामें की जानकारी पूर्व में नहीं थी और तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना जेर बहस नामान्तरकरण पारित करने के बाद जानकारी हुई, कथित वसीयतनामा सरासर मिथ्या है। देवीलाल के देहावसान के उपरान्त से ही उक्त कृषि भूमि व मकान पर अपीलान्ट का आधिपत्य व उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त सारवान तथ्यों को बदनियती से प्रत्यर्थी संख्या 1 ने छिपाकर जेर बहस नामान्तरकरण आदेश पारित करवाया जो प्रारम्भतः अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टान्त (2016(2) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 1099, 2014(1) आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 196, 1994 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 606 एवं 1995 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 124) प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट–1 ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वसीयतकर्ता श्रीमती कंकूबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में 1/2वां हक व हिस्सा होकर दर्ज है और तन्हा स्वामी खातेदार, काश्तकार होकर उपयोग उपभोग कर रही थी। मृतका कंकूबाई के कोई संतान नहीं होने से समस्त सेवा चाकरी, दवा–दारू आदि सभी रेस्पोडेंट भेरूलाल पिता श्री जगन्नाथ प्रजापत द्वारा की गयी, जो कि रिश्ते में उसकी भुआ लगती थी और मृतका ने अंतिम समय तक रेस्पोडेंट के पास ही निवास किया था और रेस्पोडेंट की सेवा चाकरी से खुश होकर श्रीमती कंकूबाई ने एक वसीयत दिनांक 10.04.2015 को रेस्पाडेंट के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया था तथा श्रीमती कंकूबाई की मृत्यु उपरान्त रेस्पाडेंट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1285 दिनांक 07.01.2016 को स्वीकृत होकर नाम पर दर्ज होकर तन्हा स्वामी होकर काश्तकार होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। अपीलान्ट द्वारा अपील में गोद लेने, सेवाचाकरी करने आदि के निराधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है कि प्रार्थी अगर मृतका कंकूबाई की सम्पत्ति में कोई हक, हित रखता हे तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अपने अधिकार, हक, हित तय करवा सकता है, नामान्तरकरण जैसी फिस्कल प्रोसेडिंग में अधिकार तय नही किये जा सकते है, का अंकन कर अपील खारिज कर दी, जो पूर्णतया विधि अनुरूप था तथा उक्त आशय के माननीय न्यायालय द्वारा अपने कई प्रकरणों में तय किया है कि नामान्तरकरण की प्रोसेडिंग में अधिकार तय नहीं किये जा सकते है, उसके लिये उसे सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर अपने अधिकार साबित करवा सकता है। अधीनस्थ

न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था, क्योकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था और पक्षकार नहीं होने की स्थिति में वह न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये बिना अपील पेश करने का अधिकारी नहीं था। मृतक की प्रथम दृष्टया वसीयत के आधार पर ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकेगा और वसीयत नही है तो उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नही है तो फिर द्वितीय श्रेणी और अन्य उत्तराधिकारी के नाम तस्दीक किया जावेगा। उक्त प्रकरण में मृतका वर्णित सम्पत्ति की एकमात्र तन्हा स्वामी, खातेदार, काश्तकार थी और उसे अपनी सम्पत्ति को वसीयत करने का पूर्ण विधिक अधिकार था और उसी अधिकार से उसने रेस्पोडेंट के पक्ष में वसीयत नामा निष्पादित कर पंजीयन करवाया था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त करने योग्य है।

अपने कथन के समर्थन में वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने न्यायिक दृष्टान्त (2012(1) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 512, 2012 आर.आर.टी. पार्ट–1 पृष्ठ संख्या 374, 2013 आर.आर.टी. पार्ट–1 पृष्ठ संख्या 383 एवं 2017(1) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 95) प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि स्वर्गीय देवीलाल पिता हीरा प्रजापत द्वारा अपीलान्ट श्री भेरूलाल पिता किशना प्रजापत के हक में एक ईकरार नामा निष्पादित किया जो की अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। श्रीमती कंकूबाई पत्नि स्व. श्री देवीलाल उर्फ देवा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री भेरूलाल पिता जगन्नाथ प्रजापत के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 10.04.2015 को निष्पादित किया, जिसका पंजीयन उप–पंजीयक, द्वितीय, उदयपुर के यहा कराया गया। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1285 दिनांक 07.01.2016 को स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट अनुसार उसको रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अभिकथित वसीयतनामें की जानकारी पूर्व में नहीं थी और तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना जेर बहस नामान्तरकरण पारित करने के बाद जानकारी हुई, कथित वसीयतनामा सरासर मिथ्या है। वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही की जानी थी। नामान्तरकरण सम्बधी कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमें केवल मात्र यही देखा जाना होता है कि जो नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है वह नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए तस्दीक किया गया है अथवा नहीं। वर्तमान प्रकरण में नामान्तरकरण पंजीबद्व दस्तावेज यानि रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इन्ही तथ्यों के मद्देनजर जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर